रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263948
CG-DL-E-18062025-263948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, बुधवार , जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

**सा.का.नि. 388(अ).—**राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये 15 अगस्त, 2025 को लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में, नियम 9 में, उप-नियम (3 क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(3ख) कोई व्यक्ति, जो गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन का मालिक है, जिसके पास वैध और कार्यात्मक फास्टैग है, वह तीन हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करके पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर यह पास एक वर्ष के लिए या दो सौ बार गुजरने (क्रॉसिंग) के लिए, जो भी पहले हो, वैध होगा, फिर भले ही प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर कितना भी शुल्क लगता हो।

बशर्ते कि क्लोस्ड शुल्क संग्रहण प्रणाली में, शुल्क प्लाजा से यांत्रिक वाहन के प्रवेश और निकास को एकल क्रॉसिंग माना जाएगा।

(3ग) उप-नियम (3ख) के अंतर्गत देय शुल्क की राशि नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से संशोधित की जा सकेगी।"

[फा. सं. एच-25016/02/2024-टोल (ई-244498)]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

***टिप्पण:*** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2008 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

**G.S.R. 388(E).—** In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: –

**1.** *(1)* These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Amendment) Rules, 2025.

*(2)* They shall come into force on the 15th day of August, 2025.

**2.** In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 9*,* after sub-rule *(3A),* the following sub-rules shall be inserted, namely: –

"(*3B*) A person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose, having a valid and functional Fastag, shall be eligible to obtain a pass on payment of fee of rupees three thousand which shall be valid for one year or for two hundred crossings through any fee plaza on a national highway, whichever is earlier, irrespective of the fee leviable at each fee plaza;

Provided that in a closed user fee collection system, entry and exit of a mechanical vehicle through a fee plaza shall be considered as a single crossing.

*(3C*) The amount of fee payable under sub-rule *(3B)* may be revised annually with effect from the 1st April of every year in accordance with rule 5.".

[F. No. H-25016/02/2024-Toll (E-244498)]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

***Note:*** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i) vide* notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 556 (E), dated the 9th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 15:55:59 +05'30'